

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए , जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया हो ) )

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

लोहावट-123 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य )की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता / करती हूँ कि

श्री किसनाराम विश्वोई

(नाम)

ग्राम पोस्ट- सदरी त. लोहावट जिला जोधपुर

(पता)

[जो इंडियन नेशनल कांग्रेस (मान्यता प्राप्त / रजिस्टर्ड राजनैतिक दल का नाम ) उपयुक्त निर्वाचन -क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने की लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : जोधपुर

दिनांक : 11-12-2018

(राजेन्द्र सिंह चारण)  
रिटर्निंग अधिकारी  
123-लोहावट

**FORM -21C**

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act,1951**

Election to the Legislative Assembly of the Rajasthan (state) from **(123) LOHAWAT**  
Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Elections Rules, 1961

I declare that -

**Sh. KISANA RAM VISHNOI** (Name)

**VILLAGE- SADRI TEH. LOHAWAT DIST. JODHPUR**  
**(RAJ)** (Address)

sponsored by Indian National Congress (Name of the recognised/registerd political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency

Place : Jodhpur

Date 11-12-2018

(Rajendra Singh Charan)  
Returning Officer  
123-LOHAWAT

